[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 07/2023-सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2023

सा.का.नि. (अ.)-केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परियोजना आयात विनियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम परियोजना आयात (संशोधन) विनियम, 2023 है ।

(2) ये 2 फरवरी, 2023 को प्रवृत्त होंगे ।

2. परियोजना आयात विनियम, 1986 की सारणी में, क्रम संख्यांक 4 के सामने, स्तंभ 2 में,"किसी अन्य संयंत्र और परियोजना" शब्दों के स्थान पर "सौर ऊर्जा संयंत्र या सौर ऊर्जा परियोजना से भिन्न,कोई अन्य संयंत्र और परियोजना" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. स. 334/03/2023-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)

अवर सचिव

टिप्पण: मूल विनियम संख्यांक सा.का.नि. 580(अ), तारीख 3 अप्रैल, 1986 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 3 अप्रैल, 1986 में प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सा.का.नि 783(अ) तारीख 19 अक्तूबर, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।